बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in

कार्यालय आदेश सं0- 232 पटना, दिनांक- 08/05/26 /
T-VI/Misc/General Pool/संलेख/8019/2026

विषयः– बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के अतंर्गत विभिन्न संचरण अंचलो में अभिचालन एवं परिक्षण (T&C) तथा विभिन्न संचरण प्रमंडलो में लाईन अनुरक्षण (LM) मे प्रयुक्त वाहन को **General Pool** के लिए आवंटन किये जाने एवं कार्यालय प्रधान को शहरी परिवहन भत्ता (CTA) की देयता के संबंध में।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, के कार्यालय आदेश संख्या–793 दिनांक–20.09. 2018 सह पठित कार्यालय आदेश संख्या–933 दिनांक–06.11.2018 द्वारा कम्पनी अंतर्गत सभी ग्रीड उपकेन्द्रो, लाईन अनुरक्षण अवर प्रमंडलों (LMSD) तथा अभिचालन एवं परीक्षण अवर प्रमंडलों (T&C Sub division) में कार्यालय प्रधान के नियंत्राधीन 24 घंटे एक–एक वाहन होल्डिंग कम्पनी के नियम एवं शर्तों पर परिचालन किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

कालान्तर में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के संकल्प संख्या–634 दिनांक–02.03.2019 एवं 339 दिनांक–15.06.2023 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत संचरण कम्पनी में पूर्व से कार्यरत अभिचालन एवं परीक्षण अवर प्रमंडलो का संचरण अंचल में तथा लाईन अनुरक्षण अवर प्रमंडलो का संचरण प्रमंडल कार्यालयों में विलय कर दिया गया है। उक्त के फलस्वरूप अभिचालन एवं परीक्षण अवर प्रमंडल तथा लाईन अनुरक्षण अवर प्रमंडल का संचालन क्रमशः संचरण अंचल तथा संचरण प्रमंडल के अधीन हो गया है। वाहनों का उपयोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु संचरण लाईनों की नियमित पेट्रोलिंग एवं अनुरक्षण के साथ ही ब्रेक डाउन की स्थिति में ससमय विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु अभिचालन एवं परीक्षण टीम तथा लाईन अनुरक्षण टीम द्वारा किया जाता है। चूंकि उक्त विभागीय कार्य हेतु वाहन संबंधित कार्यालय प्रधान के नियंत्राधीन आवंटित एवं परिचालित है, अतः संबंधित सहायक कार्यपालक अभियंता को शहरी परिवहन भत्ता (CTA) का भुगतान नहीं हो रहा है।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनीयों में कार्यालय से घर आने जाने के लिए विभागीय वाहन उप सचिव/विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों को अनुमान्य है। शेष पदाधिकारियों/कर्मचारियों को होल्डिंग कम्पनी के संकल्प संख्या–64 दिनांक–28.12.2018 सह पठित संकल्प संख्या–04 दिनांक–02.02.2022 द्वारा शहरी परिवहन भत्ता (CTA) देय है।

अतः उक्त मामले के विचारण हेतु कम्पनी के कार्यालय आदेश संख्या–60 दिनांक–29.01.2026 द्वारा गठित समिति द्वारा मामले की समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत की गयी अनुशंषा के आलोक में संलेख निदेशक मंडल के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिसे निदेशक मंडल की दिनांक–28.04.2026 को सम्पन्न 143वीं बैठक के संकल्प संख्या 143–06 के द्वारा अनुमोदित किया गया ।

तदालोक में निदेशक मंडल की दिनांक–28.04.2026 को सम्पन्न 143वीं बैठक के संकल्प संख्या 143–06 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आदेश निर्गत तिथि से निम्न प्रावधान किया जाता है:–

1) बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत विभिन्न संचरण अंचलों में अभिचालन एवं परीक्षण (T&C) एवं विभिन्न संचरण प्रमंडलों में लाईन अनुरक्षण (L&M) के लिए प्रयुक्त विभागीय वाहनों को General Pool के अंतर्गत परिचालित किये जाने कर स्वीकृति दी जाती है।
2) उक्त वाहन संबंधित कार्यालय प्रधान यथा विद्युत अधीक्षण अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता/ सहायक कार्यपालक अभियंता के नियंत्रणाधीन परिचालित किया जायेगा तथा इसका प्रयोग केवल विभागीय कार्यों के लिए किया जायेगा। वाहन का प्रयोग कार्यालय से आवास आने जाने हेतु नहीं किया जायेगा।
3) संबंधित कार्यालय प्रधान को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के नियम एवं शर्तो के अनुरूप शहरी परिवहन भत्ता (CTA) देय होगा।
4) उक्त व्यवस्था मात्र पटना यू0 ए0 तथा बिहार राज्य अंतर्गत अन्य नगर निगम क्षेत्रों के लिए अनुमान्य है। चूंकि शेष कार्यालयों में शहरी परिवहन भत्ता (CTA) देय नहीं है, अतएव शेष कार्यालयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी।

ह0/–
(संजीव कुमार सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांकः.......................................पटना दिनांकः......................................./

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/प्रशा0)/विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी (तकनीकी), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संजीव कुमार सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांकः 1432 पटना दिनांकः 08/05/26 /

प्रतिलिपिः– सभी निदेशक/सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/कम्पनी सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी विधुत अधीक्षण अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक)/सभी उपमहाप्रबंधक (आई0टी)/उप सचिव/सभी अवर सचिव/उप भण्डार नियंत्रक/उप विधि परामर्शी/सभी विधुत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी वरीय प्रबंधक (आई0टी)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वरीय प्रबंधक (आई0टी) से अनुरोध है कि इसकी एक प्रति कम्पनी के बेवसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा की जाय।

8/5/2026

(संजीव कुमार सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)